क्रम संख्या-80 (च)

पंजीकरण संख्या-UA/DO/DDN/30/2024-2026

परि०

38
19-08-25

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 ई0
श्रावण 10, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-5

संख्या 317388/XXIV-B-5/2025-10(1)/2014
देहरादून, 01 अगस्त, 2025

अधिसूचना

प0 आ0-50

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम,2006 में विहित प्रावधानों के आलोक में प्रख्यापित विनियम 2009 के द्वारा प्रख्यापित अध्याय-13 एवं अध्याय-14 के अन्तर्गत वर्तमान में कक्षा-9 से 12 हेतु प्रवृत्त व्यवसायिक पाठ्यक्रम में 2 नवीन विषयों को सम्मिलित किये जाने तथा अधिसूचना संख्या-459/XXIV-5/2018-10(1) 2014 दिनांक 16 जनवरी, 2019 में आंशिक संशोधन करते हुए अधोवर्णित तालिका के स्तम्भ-1 में उल्लिखित पाठ्यक्रम के स्थान पर स्तम्भ-2 में चयनित व्यवसायिक शिक्षा विषयों को सम्मिलित करते हुए नवीन पाठ्यक्रम प्रवृत्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

Scanned with OKEN Scanner

विद्यमान विनियम अध्याय–तेरह हाईस्कूल परीक्षा (कक्षा–9 तथा कक्षा 10 का पाठ्यक्रम)	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम अध्याय–तेरह हाईस्कूल परीक्षा (कक्षा–9 तथा कक्षा 10 का पाठ्यक्रम)
विनियम(1) (नौ)(ज) व्यावसायिक शिक्षा (निम्नलिखित में से कोई एक विषय) (1) आईटीईएस (ITES) Information Technology Enabling Services) (2)ऑटोमोटिव (Automotive) (3)रिटेल (Retail) (4)हेल्थ केयर (Health care) (5)सिक्यूरिटी (Security) (6)टूरिज्म एण्ड हॉस्पिटेलिटी (Tourism & Hospitality) (7)ब्यूटी एण्ड वैलनेस (Beauty & Wellness) (8)एग्रीकल्चर (Agriculture) (9)इलेक्ट्रॉनिक एवं हार्डवेयर (Electronic & Hardware) (10)मल्टीस्किलिंग (Multiskilling) (11)प्लम्बर (Plumber)	विनियम (1) (नौ) (ज) व्यावसायिक शिक्षा (निम्नलिखित में से कोई एक विषय) (1) आईटीईएस (ITES) Information Technology Enabling Services) (2)ऑटोमोटिव (Automotive) (3)रिटेल (Retail) (4)हेल्थ केयर (Health care) (5)सिक्यूरिटी (Security) (6)टूरिज्म एण्ड हॉस्पिटेलिटी (Tourism & Hospitality) (7)ब्यूटी एण्ड वैलनेस (Beauty & Wellness) (8)एग्रीकल्चर (Agriculture) (9) इलेक्ट्रॉनिक एवं हार्डवेयर (Electronic & Hardware) (10)मल्टीस्किलिंग (Multiskilling) (11)प्लम्बिंग (Plumbing) (12) फूड इन्डस्ट्री (Food Industry)

उपरोक्त सतम्भ–2 में वर्णित नवीन विषय को अध्याय–तेरह के विनियम –3 (ङ.) (ix) की तालिका में CODE–063 के बाद निम्नवत् जोड़ दिया जायेगा,अर्थात्–

CODE	NAMEOF SUBJECT	THEORY	PRACTCAL	PROJECT	INTERNAL ASSESMENT (IS)	MAXMUM MARKS	CMINIMUM MMARKS
064	Food Industry	30	50	—	20	100	33

विद्यमान विनियम अध्याय–चौदह इण्टमीडिएट परीक्षा कक्षा –11 तथा कक्षा– 12 का पाठ्यक्रम।	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम अध्याय–चौदह इण्टमीडिएट परीक्षा कक्षा –11 तथा कक्षा– 12 का पाठ्यक्रम।
विनियम–3(क) मानविकी वर्ग (तेरह) व्यावसायिक शिक्षा (निम्नलिखित में से कोई एक विषय) 1)आईटीईएस (ITES) Information Technology Enabling Services) (2)ऑटोमोटिव (Automotive) (3)रिटेल (Retail) (4)हेल्थ केयर (Health care) (5)सिक्यूरिटी (Security) (6)टूरिज्म एण्ड हॉस्पिटेलिटी (Tourism & Hospitality) (7)ब्यूटी एण्ड वैलनेस (Beauty & Wellness)	अध्याय–चौदह इण्टमीडिएट परीक्षा विनियम–3 (क) मानविकी वर्ग (तेरह) व्यावसायिक शिक्षा (निम्नलिखित में से कोई एक विषय) 1)आईटीईएस (ITES) Information Technology Enabling Services) (2)ऑटोमोटिव (Automotive) (3)रिटेल (Retail) (4)हेल्थ केयर (Health care) (5)सिक्यूरिटी (Security) (6)टूरिज्म एण्ड हॉस्पिटेलिटी (Tourism & Hospitality) (7)ब्यूटी एण्ड वैलनेस (Beauty & Wellness)

Scanned with OKEN Scanner

(8)एग्रीकल्चर (Agriculture) (9)इलेक्ट्रॉनिक एवं हार्डवेयर (Electronic & Hardware) (10)मल्टीस्किलिंग (Multiskilling) (11)प्लम्बर (Plumber)	(8)एग्रीकल्चर (Agriculture) (9)इलेक्ट्रॉनिक एवं हार्डवेयर (Electronic & Hardware) (10)मल्टीस्किलिंग (Multiskilling) (11) प्लम्बिंग (Plumbing) (12)एयरोस्पेस एण्ड एविएशन(Aerospace & Aviation) (13)फूड इन्डस्ट्री (Food Industry)

उपरोक्त सतम्भ–2 में वर्णित नवीन विषय को अध्याय–चौदह के विनियम–4(**viii**) की तालिका में **CODE**–156 के बाद निम्नवत् जोड़ दिया जायेगा, अर्थात्–

CODE	NAMEOF SUBJECT	THEORY		PRACTCAL		PROJECT		INTERNAL ASSESMENT (IS)		TOTAL	
		MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.
157	Aerospaca & Aviation	30	10	50	16	–	–	20	07	100	33
158	Food Industry	30	10	50	16	–	–	20	07	100	33

अतः विनियम–2019 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। शेष प्रावधान यथावत् रहेंगे।

आज्ञा से,

रविनाथ रामन,

सचिव।

उत्तराखण्ड शासन,
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4,
संख्याः 355 /XXIV–4/2025–10(10)2022
देहरादून : दिनांक : 17 मार्च, 2025

अधिसूचना संख्या–354/XXIV–4/2025–XXIV–4–10(10)2022 दिनांक 17.03.2025 के द्वारा प्रख्यापित ''उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् (परिष्कार) विनियम, 2025 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3– अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा, कुमॉयू मण्डल।
4– अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल।
5– सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर नैनीताल।
6– समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित करते हुये 150 प्रतियॉ माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8– निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अम्बिका वशिष्ठ)
अनु सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

उत्तराखण्ड शासन,
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4,
संख्याः 354 /XXIV–4 / 2025–10(10)2022
देहरादून : दिनांक : 17 मार्च, 2025

अधिसूचना

श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 18 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद विनियम, 2009 में अग्रेत्तर परिष्कार करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :–

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद (परिष्कार) विनियम, 2025

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1. (1) इस विनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद (परिष्कार) विनियम, 2025 होगा । (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
अध्याय–बारह के विनियम 14 का संशोधन	2. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद विनियम, 2009 के अध्याय–बारह के विद्यमान विनियम 14(7)(ग) में ''उक्त के अतिरिक्त निम्न संस्थान भी मान्यता प्राप्त सूची में सम्मिलित है'' में कमांक–9 के पश्चात निम्नलिखित कमांक जोड़ दिया जायेगा, अर्थातः– ''10 कक्षा–10(हाईस्कूल) परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित तीन वर्षीय पालिटेक्निक डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण को उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की कक्षा–12 (इण्टरमीडिएट) उत्तीर्ण की समकक्षता होगी। ''

Signed by
Ravinath Raman
Date: 17-03-2025 14:09:58

(रविनाथ रामन)
सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

प्र० अधि० / 11/ कार्यालय
वाहक

पत्रांक 77
दिनांक 31-12-24
अनुभाग

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4
संख्या RTI –712/xxiv–4– / 2024 / 01(01) 2016 TC
देहरादूनः दिनांक 23 दिसम्बर, 2024

अधिसूचना संख्या–697–xxiv–4 / 2024–01(01) 2016 टी0सी0 दिनांक–23 दिसम्बर, 2024 के द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद (परिष्कार) विनियम 2024" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / प्रारम्भिक शिक्षा, कुमायॅ मण्डल।
4. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल।
5. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
6. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित करते हुए 150 प्रतियां माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव विभूति रंजन)
उपसचिव।

Scanned with OKEN Scanner

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4
संख्या 697 xxiv–4–2024/01(1)2016
देहरादूनः दिनांक 23 दिसम्बर, 2024

अधिसूचना/प्रकीर्ण

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 की धारा 7 सपठित उभयलिंगी (अधिकारों का संरक्षण) नियमावली 2020 के नियम 7 के अनुक्रम में राज्यपाल, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 18 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद विनियम, 2009 में अग्रेत्तर परिष्कार किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ	1. (1) इस विनियम का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद (परिष्कार) विनियम 2024 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होंगे।
अध्याय–बारह (प्रमाण पत्र में नाम परिवर्तन) के प्रस्तर–27 का संशोधन।	2. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद विनियम 2009 के अध्याय–बारह (प्रमाण पत्र में नाम परिवर्तन) के प्रस्तर–27 के उपप्रस्तर (ज) के पश्चात् निम्नलिखित उपप्रस्तर अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

(झ) लिंग परिवर्तन करने के पश्चात् नाम परिवर्तन सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 की धारा 7 सपठित उभयलिंगी (अधिकारों का संरक्षण) नियमावली 2020 एवं उक्त के सम्बन्ध में भविष्य में इस संबंध में समय–समय पर जारी/संशोधित अन्य नियमावली/शासनादेशों के कम में किया जायेगा।

आज्ञा से,
(रविनाथ रामन)
सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

सं0 271570 /XXIV-A-1/2024/81330/2025

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड,
देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक : 30 जनवरी, 2025

विषयः द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण 2022–23 हेतु उत्तराखण्ड राज्य के आंदोलन के चिन्हित राज्य आन्दोलनकारी या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–शि.शि.सेवापूर्व/8413–15/दो–I(34)/2024-25 दिनांक 07 दिसम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि द्विवर्षीय डी. एल.एड. प्रशिक्षण 2022–23 हेतु उत्तराखण्ड राज्य के आंदोलन के चिन्हित राज्य आन्दोलनकारी या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण के सम्बन्ध में है।

2 – उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना संख्या–244/XXXVI(3)/2024/48(1)/2023 दिनांक 18.08.2024 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023" के क्रम में शासनादेश संख्या–139/XX(8)/24–27(रा0आ0)/2018 दिनांक 24.11.2024 में दिये गये दिशा–निर्देशों के आलोक में प्रश्नगत प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

Signed by
Ravinath Raman
Date: 30-01-2025 12:03:58

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्याः– / 39 /XX(8)/24–27(रा0आ0)/2018

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

गृह अनुभाग–8 देहरादूनः दिनांक २५ नवम्बर, 2024

विषयः– उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपर सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अधिसूचना संख्या–244/XXXVI(3)/2024/48(1)/2023, दिनांक 18.08.2024 (छायाप्रति संलग्न) के कम में निम्नलिखित शर्तों के अधीन उत्तराखण्ड राज्य के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्रदान किया जायेगा :–

1. जो राज्य आन्दोलनकारी पूर्व से ही राज्य आन्दोलनकारी कोटे से सरकारी सेवा में सेवायोजित हैं, उनके आश्रितों को राज्य आन्दोलनकारी आश्रित प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।

2. जो राज्य आन्दोलनकारी पूर्व से ही राज्य आन्दोलनकारी कोटे से सरकारी सेवा में सेवायोजित होने का लाभ ले चुके है, वे पुनः अन्य सरकारी सेवा में क्षैतिज आरक्षण का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होगें।

3. प्रत्येक राज्य आन्दोलनकारियों से इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा अभी तक सरकारी सेवा मे राज्य आन्दोलनकारी कोटे से क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त किया गया है अथवा नहीं।

2– उपरोक्त शर्तों के अधीन जिलाधिकारी स्तर से प्रारूप निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में प्रारूप–I तथा प्रारूप–II का नमूना संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
सचिव।

संख्याः– — (1)/XX(8)/24–27(रा0आ0)/2018, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
3. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त कुमाँऊ/गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रिधिम अग्रवाल)
विशेष सचिव।

Letter –2024-------doc

Scanned with OKEN Scanner

शासनादेश संख्या–139/XX(8)/24-27(रा0आ0)/2018, दिनांक 24.11.2024 में संदर्भित संलग्न प्रारूप–1 :–

प्रारूप–1

''उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023'' के प्राविधानानुसार चिन्हित उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को राज्याधीन सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्रदान किये जाने हेतु प्रमाण पत्र का प्रारूप।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर श्री/सुश्री/श्रीमती..पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री..निवासी..तहसील..जिला..शासनादेश संख्या–777/XX(4)/26/उ0आ0/2006–08, दिनांक 22.10.2008, शासनादेश संख्या–178–2/XX(4)/26/उ0आ0/06/09, दिनांक 28.02.2009, शासनादेश संख्या–1401/बीस–4/2015–3(26)/2006, दिनांक 25.02.2015, शासनादेश संख्या–1521/बीस–4/2017–9(उ0रा0आ0)2016, दिनांक 03.01.2017 एवं शासनादेश संख्या–1192/बीस–4/2017–3(13)/2011, दिनांक 01.12.2017 में विहित चिन्हीकरण हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी के रूप में चिन्हित होने के दृष्टिगत् ''उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023'' के प्राविधानानुसार राज्याधीन सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण से आच्छादित होते हैं।

दिनांक..

जिलाधिकारी

जनपद..

मोहर..

Scanned with OKEN Scanner

शासनादेश संख्या–139 / XX(8)/24-27(रा0आ0) / 2018, दिनांक 24.11.2024 में संदर्भित संलग्न प्रारूप–2 :–

प्रारूप–2

''उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023'' के प्राविधानानुसार राज्याधीन सेवाओं में चयन के समय चिन्हित आन्दोलनकारियों के आश्रितों यथा स्थिति पत्नी अथवा पति, पुत्र एवं पुत्री (जिसमें विवाहित, विधवा, पति द्वारा परित्यक्त, तलाकशुदा पुत्री भी सम्मिलित हैं) को राज्याधीन सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्रदान किये जाने हेतु प्रमाण पत्र का प्रारूप।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर श्री / सुश्री / श्रीमती..पुत्र / पुत्री / पत्नी, श्री...निवासी..तहसील..जिला..शासनादेश संख्या–777 / XX(4)/26 / उ0आ0 / 2006–08, दिनांक 22.10.2008, शासनादेश संख्या–178–2 / XX(4) / 26 / उ0आ0 / 06 / 09, दिनांक 28.02.2009, शासनादेश संख्या–1401 / बीस–4 / 2015–3(26) / 2006, दिनांक 25.02.2015, शासनादेश संख्या–1521 / बीस–4 / 2017–9(उ0रा0आ0)2016, दिनांक 03.01.2017 एवं शासनादेश संख्या–1192 / बीस–4 / 2017–3(13) / 2011, दिनांक 01.12.2017 में विहित चिन्हीकरण हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार राज्य आन्दोलनकारी चिन्हित किये गये हैं तथा श्री / सुश्री / श्रीमती.. पुत्र / पुत्री / पत्नी / पति के रूप में उक्त संदर्भित राज्य आन्दोलनकारी के आश्रित हैं।

दिनांक...

जिलाधिकारी

जनपद...

मोहर..

Scanned with OKEN Scanner

क्रम संख्या–84

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, रविवार, 18 अगस्त, 2024 ई0

श्रावण 27, 1946 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 244 / XXXVI (3) / 2024 / 48(1) / 2023

देहरादून, 18 अगस्त, 2024

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक, 2023' पर दिनांक 17 अगस्त, 2024 को स्वीकृति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का अधिनियम संख्याः 11, वर्ष– 2024 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

Scanned with OKEN Scanner

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023 प्रवर समिति द्वारा यथा संशोधित

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 11, वर्ष 2024)

अधिनियम

{ भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो }

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, विस्तार और लागू होना

1\. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम 'उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023 होगा।

(2) यह अधिनियम, इस अधिनियम की धारा-5 के प्रयोजनार्थ दिनांक 11 अगस्त, 2004 से एवं अवशेष उपबन्धों के प्रयोजनार्थ तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा।

(3) यह अधिनियम राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती के पदों के सम्बन्ध में लागू होगा।

(4) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य पर है।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव

2\. किसी अन्य अधिनियम या किसी न्यायालय के किसी निर्णय/डिक्री/आदेश या दिशा-निर्देशों आदि में अन्तर्विष्ट इससे असंगत किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रावधान विधिमान्य व प्रभावी समझे जायेंगे।

परिभाषाएं

3\. इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) "चिन्हित आन्दोलनकारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका चिन्हिकरण सक्षम अधिकारी द्वारा राज्य आन्दोलनकारी के रूप में किया गया हो और उसे उक्त सन्दर्भ में प्रमाण-पत्र/पहचान पत्र निर्गत किया गया हो;

(ख) "आश्रित" से चिन्हित आन्दोलनकारी की यथा स्थिति पत्नी अथवा पति, पुत्र एवं पुत्री (जिसमें विवाहित, विधवा, पति द्वारा परित्यक्त, तलाकशुदा पुत्री भी सम्मिलित है) अभिप्रेत है।

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

संख्याः 312329 /XXIV-A-1/2025/39646/2022

प्रेषक,

रविनाथ रामन्,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड
देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून : दिनाँकः 08 जुलाई, 2025

विषयः द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–शि0शि0 सेवापूर्व/1913/दो–I(92)/ 2025–26 दिनांक 06 जून, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2025 आयोजित कराये जाने हेतु समसामयिक शासनादेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागीय प्रस्ताव के सम्यक् परीक्षणोपरान्त डी0एल0एड0 प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा आयोजित किये जाने हेतु पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या– 433/XXIV(1)/2019–02/2018 दिनांक 16–08–2019, शासनादेश संख्या 1028/XXIV(1)/2019–02/2018 दिनांक 21–10–2019, शासनादेश संख्या 1389/XXIV–A–1/2020/02/2018 दिनांक 11–01–2021 एवं शासनादेश संख्या 173/XXIV–A–1/2021/ 02/2018 दिनांक 24–01–2022, शासनादेश संख्या 25034/2022 दिनांक 25 मार्च 2023 शासनादेश सं0–BESI-MISI/25.1/103/2022-XXIV-A-1-Basic Educator Department दिनांक 07 अक्टूबर 2022 एवं शासनादेश संख्या 215366/XXIV–A–1/2024–39646/2022 दिनांक 04–06–2024 एवं संशोधित शासनादेश संख्या–230553/XXIV–A–1/2024-39646/2022 दिनांक 06 अगस्त 2024 में उल्लिखित प्रावधानों में कतिपय संशोधन करते हुए राज्य में संचालित 13 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में 50 प्रशिक्षु प्रति डायट के अनुसार 650 प्रशिक्षणार्थियों को द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा 2025 परीक्षा कार्यक्रम को निम्नलिखित दिशा–निर्देशों के अधीन प्रारम्भ किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. **द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण में चयन हेतु प्रवेश परीक्षा एवं अन्य गतिविधियों हेतु नियन्त्रक प्राधिकारी–**द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित किए जाने, परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को जनपद आवंटन करने व राज्य के समस्त जनपदों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण के पर्यवेक्षण हेतु निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड, नियन्त्रक प्राधिकारी होंगे।

2. **द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण में चयन हेतु प्रवेश परीक्षा की पात्रता–**

(क) कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–59/XXX–2/19/01(17)/2012 दिनांक 07 फरवरी, 2019 एवं अधिसूचना संख्या–164/XXX–2/19/01(17)/2012 दिनांक 28.06.19 द्वारा संशोधित उत्तराखण्ड लोक

Scanned with OKEN Scanner

सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता (संशोधन) नियमावली 2019 के द्वारा संशोधित नियम–4 उपनियम (2) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिए अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो, परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवायें उत्तराखण्ड से बाहर स्थानान्तरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे;

परन्तु यह और कि राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका/अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी, समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगें। के अनुसार अभ्यर्थी द्विवर्षीय डी॰एल॰एड॰ प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

(ख) अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी जनपद में स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से द्विवर्षीय डी॰एल॰एड॰ प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन किया जा सकेगा। अभ्यर्थी से प्रवेश परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शहरों के विकल्प भरवायें जायेंगे। अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा केन्द्रों का आवंटन उसके द्वारा दिए गये विकल्पों की वरीयतानुसार किया जायेगा। अभ्यर्थी को आवेदन करते समय राज्य के समस्त 13 (तेरह) जनपदों में प्रशिक्षण हेतु विकल्प भरने होंगें।

(ग) अभ्यर्थी द्वारा द्विवर्षीय डी॰एल॰एड॰ प्रशिक्षण हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान अथवा विज्ञानेत्तर विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गयी हो।

(घ) द्विवर्षीय डी॰एल॰एड॰ प्रशिक्षण हेतु जनपदवार आवंटित कुल सीटों के 50 प्रतिशत में विज्ञान वर्ग तथा 50 प्रतिशत में विज्ञानेत्तर वर्ग के अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा।

बी॰एस॰सी॰ योग्यताधारी एवं कृषि वर्ग के स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थियों हेतु विज्ञान वर्ग तथा बी॰ए॰ योग्यताधारी एवं वाणिज्य वर्ग के स्नातक अभ्यर्थियों को विज्ञानेत्तर वर्ग में रखा जायेगा तथा बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0कॉम0 के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थियों के वर्ग का निर्धारण उनके

Scanned with OKEN Scanner

इण्टरमीडिएट वर्ग के आधार पर किया जायेगा। इण्टरमीडिएट कृषि वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो उक्त से इतर अन्य वर्गों से स्नातक हैं, विज्ञान वर्ग में आवेदन कर सकेंगे। इण्टरमीडिएट वाणिज्य वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो उक्त से इतर अन्य वर्गों से स्नातक हैं, विज्ञानेत्तर वर्ग में आवेदन कर सकेंगे।

(ड.) कार्मिक विभाग द्वारा सेवायोजन में विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किये जाने हेतु जारी शासनादेशानुसार ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज (Vertical – Horizontal) आरक्षण अनुमन्य किया जाएगा। शासनादेश संख्या 1028/XXIV (1)/2019/02/2018, दिनांक 21–10–2019 एवं शासनादेश संख्या 1389/XXIV(1)/2020/02/2018, दिनांक 11–01–2021 के बिन्दु संख्या–2–2(ग) के अनुपालन में "श्रेणी, वर्ग एवं उप वर्गवार सीटों का वर्गीकरण करते हुए सम संख्या आने पर उसे बराबर विषयों में विभाजित कर दिया जायेगा एवं विषम संख्या आने पर उसकी पूर्ति चक्रानुक्रम से श्रेणी के अनुसार आगामी प्रवेश परीक्षा में पूर्ति कर दी जायेगी। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर (Vertical) आरक्षण की भांति ही क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण में भी सीटों का निर्धारण किया जायेगा।"

(च) अभ्यर्थी की आयु प्रशिक्षण प्रारम्भ होने वाले वर्ष की प्रथम जुलाई को 19 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को कार्मिक विभाग के शासनादेशों के अनुरूप अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी। न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट देय नहीं होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु सीमा में छूट केवल स्वयं के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेश के अनुरूप नियमानुसार देय होगी।

(छ) द्विवर्षीय डी॰एल॰एड॰ प्रशिक्षण स्ववित्त पोषित रूप से संचालित किया जायेगा। द्विवर्षीय डी॰एल॰एड॰ प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से प्रतिवर्ष रु॰ 35,000.00 (पैंतीस हजार रुपये मात्र) प्रशिक्षण शुल्क लिया जायेगा एवं प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से प्रति सेमेस्टर रु॰ 850.00 (आठ सौ पचास रुपये मात्र) परीक्षा शुल्क लिया जायेगा। प्राप्त शुल्क निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून के निवर्तन पर रखा जायेगा।

(ज) द्विवर्षीय डी॰एल॰एड॰ प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रशिक्षणोपरान्त राजकीय सेवा में सेवायोजित किये जाने की कोई बाध्यता नहीं होगी किन्तु तत्समय प्रचलित सेवा नियमावली में विहित न्यूनतम प्रशिक्षण/अन्य निर्धारित योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थियों को ही नियमानुसार सेवा में लिया जायेगा।

चयन का आधार :

द्विवर्षीय डी॰एल॰एड॰ प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन, प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों की मैरिट के आधार पर किया जायेगा। चयन सूची प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांको की श्रेष्ठता के अवरोही क्रमानुसार तैयार की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

1/312329

4. लिखित परीक्षा :

लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी। परीक्षा की अवधि 02 घण्टे 30 मिनट होगी, जिसमें 200 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न के 04 विकल्प दिये जायेंगे, जिनमें एक विकल्प सही होगा। प्रश्न मुख्यतः सामान्य ज्ञान/बोध, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति, संख्यात्मक योग्यता एवं शिक्षण अभिरुचि विषयों पर आधारित होंगे, जिनका ज्ञान एक सामान्य स्नातक योग्यताधारी से अपेक्षित है। उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन ओ॰एम॰आर॰ शीट आधारित होगा। अभ्यर्थी द्वारा ओ॰एम॰आर॰ आवेदन पत्र में प्रस्तुत किये गये विवरण के आधार पर उसे परीक्षा में सम्मिलित कराया जायेगा, तत्पश्चात् सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच कर अन्तिम चयन की कार्यवाही की जायेगी।

5. परीक्षा संस्था :

द्विवर्षीय डी॰एल॰एड॰ प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद के अन्तर्गत गठित विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ के माध्यम से किया जायेगा। प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था ही विज्ञापित सीटों के सापेक्ष, श्रेणीवार, वर्गवार तथा आरक्षणानुसार पृथक–पृथक सूची तैयार कर अपर निदेशक, एस॰सी॰ई॰आर॰टी॰ उत्तराखण्ड, देहरादून को उपलब्ध कराने हेतु निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित करेगा। अपर निदेशक, एस॰सी॰ई॰आर॰टी॰ उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को उनके प्राप्तांकों के वरीयता क्रमानुसार जनपद आवंटन करने के उपरान्त चयनित अभ्यर्थियों की सूची सम्बन्धित जनपदों के प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध करवायी जाएगी।

6. प्रवेश हेतु चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार किया जाना :

(क) अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर राज्य स्तर पर एवं आरक्षित श्रेणीवार निर्धारित प्रतिशत के अन्तर्गत उनकी पृथक–पृथक योग्यता सूची तैयार की जायेगी। अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के अवरोही क्रम में योग्यता सूची तैयार की जायेगी। योग्यता सूची के आधार पर काउंसिलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया सम्पादन के उपरान्त वास्तविक रूप से रिक्त रही सीटों की संख्या के सापेक्ष विज्ञान/विज्ञानेत्तर वर्ग में ऊर्ध्व/क्षैतिज आरक्षणवार प्रतीक्षा सूची भी निर्गत की जायेगी। जिस वर्ग/श्रेणी का अभ्यर्थी प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होता है, तो उसी वर्ग/श्रेणी के अभ्यर्थी को प्रतीक्षा सूची के माध्यम से आमंत्रित किया जायेगा।

योग्यता सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को डी॰एल॰एड॰ प्रशिक्षण हेतु जनपद का आवंटन राज्य स्तर पर आयोजित काउंसिलिंग के आधार पर किया जायेगा। अभ्यर्थी को योग्यता सूची में प्राप्तांकों के अवरोही क्रमानुसार, काउंसलिंग के समय डी॰एल॰एड॰ प्रशिक्षण हेतु जनपदों के विकल्प भरवाकर, अभ्यर्थी के द्वारा भरे गये विकल्पों के आधार पर प्रशिक्षण हेतु जनपद आंवटित किए जायेगें।

Scanned with OKEN Scanner

(ख) चयनित अभ्यर्थियों की सूची को आवंटित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को भेजने का उत्तरदायित्व एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड, देहरादून का होगा।

7. **राज्य स्तर डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा एवं प्रवेश हेतु समिति का गठन :**

द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित मामलों पर पात्र अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का परीक्षण एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित समिति गठित की जायेगी:–

1	निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण प्राधिकारी	अध्यक्ष / परीक्षा नियन्त्रक
2	अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी.	सदस्य / सचिव
3	सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर द्वारा नामित अपर सचिव स्तर का एक अधिकारी	सदस्य
4	निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण द्वारा नामित एक श्रेणी–2 का अधिकारी (अनु.जा. / अनु.ज.जा. / अ.पि.व. से सम्बन्धित)	सदस्य
5	निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड द्वारा नामित संयुक्त / उप निदेशक स्तर का सेवा–2 पटल का अधिकारी	सदस्य

8. **द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण एवं सेमेस्टर मूल्यांकन :**

सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में द्विवर्षीय अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों का सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक कार्यों का मूल्यांकन, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् द्वारा सम्पादित कराया जाएगा। प्रति सेमेस्टर की परीक्षा से पूर्व आंतरिक आंकलन के अंक कम से कम 15 दिन पहले बोर्ड को उपलब्ध कराने का दायित्व प्राचार्य सम्बन्धित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का होगा। उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल द्वारा परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे।

9. **द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा शुल्क :**

द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण हेतु आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन पत्र के शुल्क की दरें निम्नवत् निर्धारित होगी –

1. सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए – रु. 600.00
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए– रु. 300.00
3. सभी वर्गों के निःशाक्त अभ्यर्थियों के लिए – रु. 150.00

10. **अन्य नियम :**

(क) द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण हेतु प्रविष्ट अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कराया जायेगा। प्रमाण पत्र

Scanned with OKEN Scanner

फर्जी/कूटरचित पाये जाने पर प्रवेश निरस्त करने के साथ ही संबंधित के विरूद्ध कानूनी कार्यवाई भी की जायेगी। इस आशय का शपथ पत्र भी अभ्यर्थी को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश के समय जमा कराना होगा।

(ख) द्विवर्षीय डी॰एल॰एड॰ प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता एवं सुविधा के दृष्टिगत प्रतिवर्ष 50 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

(ग) वैश्विक महामारी कोविड–19 जैसी अन्य महामारी के दृष्टिगत विशेष परिस्थितियों में तत्समय शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में डी॰एल॰एड॰ प्रशिक्षण हेतु चयनित प्रशिक्षुओं का कक्षा–कक्ष शिक्षण ऑनलाइन संचालित किया जा सकता है।

11. **द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा हेतु समय सारणी :**

प्रत्येक वर्ष द्विवर्षीय डी॰एल॰एड॰ प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा एवं प्रवेश की प्रक्रिया का आयोजन अधिकृत संस्थान द्वारा निम्न कार्यक्रमानुसार सम्पादित की जायेगी –

क्र.सं.	गतिविधि	प्रस्तावित समय
1	द्विवर्षीय डी॰एल॰एड॰ प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं सूचना विवरणिका तैयार करना।	माह जुलाई–अगस्त 2025
2	विज्ञप्ति जारी करने की तिथि (ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया)	माह सितम्बर 2025
3	आवेदकों का डाटा तैयार करना, परीक्षा केन्द्र, प्रवेश पत्र निर्माण एवं अभ्यर्थियों को प्रेषण की तिथि परीक्षा केन्द्रों को परीक्षा सामग्री आदि का प्रेषण	माह अक्टूबर–नवंबर, 2025
4	परीक्षा की तिथि (प्रस्तावित)	22 नवंबर, 2025 चतुर्थ शनिवार
5	परीक्षाफल निर्माण एवं घोषणा	दिसंबर 2025– जनवरी 2026
6	सफल अभ्यर्थियों को जनपद आवंटन हेतु कॉउंसिलिंग की अवधि	जनवरी –फरवरी 2026
7	प्रतीक्षा सूची जारी करना	माह फरवरी–मार्च 2026
8	सत्र प्रारम्भ	माह मार्च–अप्रैल 2026

Digitally signed by
RAVINATH RAMAN
Date: 08-07-2025
12:58:49

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव

Scanned with OKEN Scanner

संख्या: 312329 /XXIV-A-1/2025/39646/2022 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा ननूरखेडा, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
5. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
6. गार्ड फाईल।

Digitally signed by
BHUPENDRA SINGH BORA
Date: 08-07-2025
15:43:09

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र सिंह बोरा)
संयुक्त सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

127
15.5.26

प्रेषक,

संख्या– 395410 /XXIV-A-1/2026–37779

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

D.D सेवा-2

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 13 मई, 2026

विषयः द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण पाठ्यचर्या 2024 में आंशिक संशोधन किये जाने तथा परिशोधन के उपरांत नवीन संस्करण 2025 के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या शि.शि.सेवापूर्व/12007–09/दो–आई(92)/2025–26, दिनांक 27.03.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से द्विवर्षीय डी.एल.एड. पाठ्यचर्या 2024 (नवीन संस्करण 2025) के प्रकाशन की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा–22 तथा विनियम के अध्याय–पांच–6(1) में निहित प्राविधानों के तहत द्विवर्षीय डी.एल.एड. पाठ्यचर्या 2024 (नवीन संस्करण 2025) को "द्विवर्षीय डी.एल.एड. पाठ्यचर्या" शीर्षक नाम से प्रकाशन की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

Digitally signed by
RAVINATH RAMAN
Date: 13-05-2026
11:42:16

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या–395410 XXIV-A-1/2026–37779 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सभापति/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, देहरादून।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
SATYA PRAKASH SINGH
Date: 13-05-2026
14:31:53

(सत्यप्रकाश सिंह)
संयुक्त सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 12–03–2026 को आयोजित द्विवर्षीय डी.एल.एड. पाठ्यचर्या में आंशिक संशोधन किए जाने के संबंध में शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या समिति की बैठक का कार्यवृत्त

आज दिनांक 12 मार्च, 2026 को निदेशक/सभापति, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून की ऑनलाइन अध्यक्षता में द्विवर्षीय डी.एल.एड. पाठ्यचर्या में आंशिक संशोधन किए जाने के संबंध में शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या समिति की बैठक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के सभागार में आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थिति निम्नवत रही–

1– श्री पी.पी. सिमल्टी, सचिव, उ.वि.शि.प. रामनगर, नैनीताल।
2– डॉ.सुबोध बिष्ट, प्रवक्ता, डायट उत्तरकाशी।
3– श्री माधव सिंह नेगी ,प्र0अ0 रा0प्रा0वि0 पौली,रूद्रप्रयाग।
4– श्री भागचन्द्र लाल कोठावानी,स0अ0 रा0जू0हा0 पुडियाणी,चमोली।

द्विवर्षीय डी.एल.एड. पाठ्यचर्या में आंशिक संशोधन किए जाने के संबंध में निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर चर्चा की गई, जिसमें प्रस्तावित बिन्दुओं, पहले उपलब्ध प्राविधान एवं संशोधन हेतु प्रस्तावित तथ्यों को निम्नवत स्पष्ट किया गया।

क्र. सं.	प्रस्तावित बिंदु	वर्तमान व्यवस्था (प्राविधान)	प्रस्तावित संशोधन
1	प्रशिक्षुओं की उपस्थिति	1. प्रत्येक सेमेस्टर में न्यूनतम कार्यदिवस 110 दिन निर्धारित है। राष्ट्रीय पर्वों को कार्यदिवस में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। (पाठ्यचर्या के पृष्ठ संख्या 31 के उपस्थिति शीर्षक बिन्दु सं0 1) 2. द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण की अवधि में प्रत्येक सेमेस्टर में कुल कार्यदिवसों में शत प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। एक सेमेस्टर में अधिकतम 15 दिन का अवकाश देय होगा इसके अतिरिक्त	1. द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण की अवधि में शिक्षक प्रशिक्षु के लिए छः माह के प्रत्येक सेमेस्टर में कुल अनुमानित 140 कार्यदिवसों का 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी, किन्तु परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु शिक्षक प्रशिक्षु के लिए प्रत्येक सेमेस्टर में न्यूनतम 110 कार्यदिवस की उपस्थिति अनिवार्य होगी। राष्ट्रीय पर्वों को कार्यदिवस में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। (पाठ्यचर्या के पृष्ठ संख्या 31 के उपस्थिति शीर्षक बिन्दु सं0 1) 2. द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में विद्यालय अनुभव (स्कूल इंटर्नशिप) हेतु निर्धारित कार्य दिवसों, क्रमशः 24 एवं 96 दिवस में शिक्षक प्रशिक्षु की शत्–प्रतिशत् उपस्थिति अनिवार्य होगी। (पाठ्यचर्या के पृष्ठ संख्या 31 के उपस्थिति शीर्षक बिन्दु सं0 2) 3.निर्धारित उपस्थिति प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले प्रशिक्षु को सम्बन्धित सेमेस्टर में पुनः नामांकन कराना होगा ।

		कोई भी अवकाश देय नहीं होगा । (पाठ्यचर्या के पृष्ठ संख्या 31 के उपस्थिति शीर्षक बिन्दु सं0 2) 3.शत प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले प्रशिक्षु को सम्बन्धित सेमेस्टर में पुनः नामांकन कराना होगा । (पाठ्यचर्या के पृष्ठ संख्या 31 के उपस्थिति शीर्षक बिन्दु सं0 3)	(पाठ्यचर्या के पृष्ठ संख्या 31 के उपस्थिति शीर्षक बिन्दु सं0 3)
2	आकस्मिक अवकाश	1.द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण की अवधि में प्रत्येक सेमेस्टर में कुल कार्यदिवसों में शत् प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। एक सेमेस्टर में अधिकतम छः दिन का अवकाश देय होगा इसके अतिरिक्त कोई भी अवकाश देय नहीं होगा । (पाठ्यचर्या के पृष्ठ संख्या 31 के उपस्थिति शीर्षक बिन्दु सं0 2)	क्रम संख्या– 1 के सापेक्ष आकस्मिक अवकाश विलोपित किया जाना उचित होगा। (पाठ्यचर्या के पृष्ठ संख्या 31 के उपस्थिति शीर्षक बिन्दु सं0 2)
3	आपदा के दिनों में प्रशिक्षण के संबंध में	कोई भी प्रावधान उपलब्ध नहीं है	राज्य/जिला प्रशासन द्वारा आपदा आदि स्थिति में घोषित अवकाश की अवधि के दौरान संस्थान/विद्यालय बन्द रहने की स्थिति में ऑनलाइन मोड द्वारा भी पाठ्यचर्या के अनुसार निम्न प्रकार से प्रशिक्षण कार्य सम्पादित कराया जा सकेगा– 1. संस्थान में प्राचार्य द्वारा ऑन–लाइन शिक्षण हेतु विधिवत कार्यक्रम (समय–सारणी) तैयार कर तदनुरूप कक्षाएं संपादित की जाएंगी एवं प्रत्येक वादन में प्रशिक्षु की उपस्थिति की अंकना संबंधित विषय का शिक्षण करने वाले विषय विशेषज्ञ द्वारा की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

			2. विद्यालय अनुभव (स्कूल इंटर्नशिप) में शिक्षण के अतिरिक्त अंकित अन्य प्रदत्त कार्यों को सम्पादित कराया जा सकेगा। ऑनलाइन मोड के दिवसों में संपादित किये गये कार्य का विधिवत अभिलेखीकरण भी संबंधित विद्यालय तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में सुरक्षित रखा जाय। ऑनलाइन मोड के दिवसों की गणना कार्यदिवस में की जाएगी। (पाठ्यचर्या के पृष्ठ संख्या 31 में पूर्व में अंकित बिन्दु सं0 4 को विलोपित करते हुए उक्त विन्दुओं को रखा जाना उचित होगा ।)
4	राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रशिक्षुओं को सम्मिलित किए जाने के संबंध में	अस्पष्टता है	एन.सी.टी.ई. के निर्देशानुसार नवभारत साक्षरता कार्यक्रम- एन.आई.एल.पी. कार्यक्रम में डी.एल.एड. शिक्षक प्रशिक्षुओं का सहयोग लिया जाना अपेक्षित है। इस कार्य में प्रशिक्षु की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, इसमें मूल्यांकन की निम्नवत व्यवस्था होगी- द्वितीय सेमेस्टर, विद्यालय अनुभव हेतु निर्धारित 30 अंको में इस हेतु व्यवस्था होगी। जिसे पाठ्यचर्या की पृष्ठ सं0 15 के विद्यालय अनुभव शीर्षक के अन्तर्गत निम्नानुसार सम्मलित किया जाना उचित होगा । इस हेतु 03 अंक प्रदान किये जाएंगे। नवाचार कार्यक्रम का अध्ययन को पूर्व में 10 अंक के स्थान पर 07 अंक रह जायेगा। इस नयी व्यवस्था के पश्चात अंकों का विवरण निम्नवत होगा - 1. नवाचार कार्यक्रम का अध्ययन - 07 अंक 2. आंगनवाड़ी केन्द्र में संचलित कार्यक्रमों का अध्ययन- 05 अंक 3. विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का अध्ययन- 05 अंक 4. स्वैच्छिक एवं अन्य संस्थाओं के हस्तक्षेपों का अध्ययन- 05 अंक 5. राष्ट्रीय पर्वों पर आधारित गतिविधियों का अध्ययन- 6.नवभारत साक्षरता कार्यक्रम (एन.आई.एल.पी.) से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन- 03 अंक साथ ही **चतुर्थ सेमेस्टर** में (पाठ्यचर्या के पृष्ठ संख्या 16 में कम संख्या 3 **शोध अभिवृति एवं**

			सृजनात्मकता का विकास एवं पृ0सं0 140 में बिन्दु सं0 12 के बाद **बिन्दु संख्या 12 अ** के रूप में एन0आई0एल0पी0 कार्यक्रम में प्रशिक्षु की भूमिका सम्बधी प्रावधान किया जाना उचित होगा ।)
	परीक्षा	**बिन्दु संख्या– 2** परीक्षा का माध्यम,भाषाओं को छोडकर अन्य समस्त प्रश्न पत्रों/विषयों के लिए केवल हिन्दी होगा ।	**बिन्दु संख्या– 2** परीक्षा का माध्यम,भाषाओं को छोडकर अन्य समस्त प्रश्न पत्रों/विषयों के लिए हिन्दी व अंग्रेजी होगा । (पाठ्यचर्या के पृ0सं0 31 में **परीक्षा शीर्षक** के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 2 में संसोधन किया जाना उचित होगा ।)
6	परीक्षा	**बिन्दु संख्या– 8** यदि कोई परीक्षार्थी द्विवर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं कर पाता है अर्थात् वह किसी प्रश्नपत्र/विषय में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे द्विवर्षीय प्रशिक्षण काल में अधिकतम दो प्रश्नपत्रों/विषयों की परीक्षा में पुनः सम्मिलित होने के लिए एक ही अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जाएगा। यह अवसर चारों सेमेस्टर के लिए अधिकतम दो प्रश्नपत्रों/विषयों के लिए प्रदान किया जाएगा। यदि संबंधित प्रश्नपत्र/विषय की पुनः परीक्षा के लिए प्रदान किये गये ऐसे अवसर में भी कोई परीक्षार्थी उत्तीर्ण नहीं होता है अथवा वह पुनः परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है, तो उसका द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण कार्यक्रम का अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा।	**बिन्दु संख्या– 8** यदि कोई परीक्षार्थी द्विवर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं कर पाता है अर्थात् वह किसी प्रश्नपत्र/विषय में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे द्विवर्षीय प्रशिक्षण काल में अधिकतम तीन प्रश्नपत्रों/विषयों की परीक्षा में पुनः सम्मिलित होने के लिए एक ही अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जाएगा। यह अवसर चारों सेमेस्टर के लिए अधिकतम तीन प्रश्नपत्रों/विषयों के लिए प्रदान किया जाएगा। यदि संबंधित प्रश्नपत्र/विषय की पुनः परीक्षा के लिए प्रदान किये गये ऐसे अवसर में भी कोई परीक्षार्थी उत्तीर्ण नहीं होता है अथवा वह पुनः परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है, तो उसका द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण कार्यक्रम का अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा। (पाठ्यचर्या के पृ0सं0 33 बिन्दु संख्या 8 में संसोधन किया जाना उचित होगा ।)
7	एस.सी.ई. आर. टी. उत्तराखण्ड	पाठ्यचर्या में कोई प्रावधान नहीं है	एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड एवं डायट्स द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु आयोजित कार्यक्रमों (राज्य/राष्ट्रीय) यथा

12/3

Scanned with OKEN Scanner

	एवं डायट द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के संबंध में		शोध,सर्वेक्षण,कार्यशाला,सेमिनार आदि में किसी शिक्षक–प्रशिक्षु द्वारा प्रतिभाग किए जाने की दशा में संबंधित दिवसों की गणना सेमेस्टर के कार्यदिवसों में की जाएगी। (पाठ्यचर्या के पृ0सं0 31 में उपस्थिति शीर्षक के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 5 के रूप में सम्मलित किया जाना उचित होगा । जबकि पूर्व में अंकित बिन्दु स0 5 को बिन्दु सं0 6 के रूप में सम्मलित किया जाना होगा ।)
8	स्काउटिंग / गाईडिंग हेतु सेमेस्टर अवकाश के दौरान कोर्स के सम्बन्ध में	स्काउटिंग / गाईडिंग हेतु सेमेस्टर अवकाश के दौरान बेसिक स्काउट मास्टर का एक कोर्स करना होगा । पाठ्यचर्या के पृष्ठ संख्या 36 खेल एवं स्वास्थ्य शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत	स्काउटिंग / गाईडिंग हेतु बेसिक स्काउट मास्टर का एक कोर्स करना होगा । (पाठ्यचर्या के पृष्ठ संख्या 36 **खेल एवं स्वास्थ्य शिक्षा** शीर्षक के अन्तर्गत संसोधन किया जाना होगा)

उपरोक्त समस्त बिन्दुओं पर शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या समिति के उपस्थित समस्त सदस्यों द्वारा सहमति प्रदान कर तदनुसार नवीन पाठ्यचर्या को अनुमोदित किया गया ।

अंत में सभापति द्वारा सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए बैठक के समापन की घोषणा की गयी ।

(भागचन्द्र लाल केशवानी) (माधव सिंह नेगी) (डॉ.सुबोध बिष्ट)

(वी.पी. सिमल्टी)

डॉ.(मुकुल कुमार सती)

Scanned with OKEN Scanner

संख्या- 412649 /XXIV-A-1/2026-92546

प्रेषक,

सत्यप्रकाश सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 देहरादूनः दिनांकः 13 जुलाई, 2026

विषयः उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) विषयक शासनादेश में संशोधन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या 02(02)/2854/887-2025/2026-27, दिनांक 29.06.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शासनादेश संख्या 406307, दिनांक 18.06.2026 में कतिपय संशोधन का प्रस्ताव शासन के विचारार्थ उपलब्ध कराया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 1385/2025 अन्जुमन ईशात-ए-तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 01.09.2025 को पारित निर्णयादेश एवं पुनर्विचार याचिका (सिविल) डायरी संख्या 53434/2025 उत्तर प्रदेश बनाम अन्जुमन ईशात-ए-तालीम ट्रस्ट व अन्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 29.05.2026 को पारित निर्णयादेश के अनुपालन में आपके कार्यालय द्वारा पत्र दिनांक 09.01.2026 एवं दिनांक 15.06.2026 द्वारा शासन को उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी०ई०टी०) आयोजित किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या 406307, दिनांक 18.06.2026 निर्गत किया गया है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत संशोधन के संबंध में पूर्व प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 09.01.2026 एवं दिनांक 15.06.2026 में किन कारणों से उक्त तथ्य/विसंगति पर विचार नही किया गया। उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए वर्तमान में उपलब्ध कराये गये संशोधन के प्रस्ताव का औचित्य भी स्पष्ट करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by
SATYA PRAKASH SINGH
Date: 10-07-2026
19:06:06

(सत्यप्रकाश सिंह)
संयुक्त सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या- 406307 /XXIV-A-1/2026-92548

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-1

UTET
24/6/2026

देहरादूनः दिनांकः 18 जून, 2026

विषयः प्राथमिक (I-V) एवं उच्च प्राथमिक (VI-VIII) विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी0ई0टी0) आयोजित किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 163/XXIV(1)/2016-15/2011, दिनांक 04.03.2016 के माध्यम से प्राथमिक (I-V) एवं उच्च प्राथमिक (VI-VIII) विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी0ई0टी0) आयोजित किये जाने की प्रक्रिया सम्बन्धी दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- इस सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 1385/2025 अन्जुमन ईशात-ए-तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 01-09-2025 को अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी0ई0टी0) की अनिवार्यता विषयक पारित निर्णयादेश एवं उक्त निर्णयादेश के विरूद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर पुनर्विचार याचिका (सिविल) डायरी संख्या 53434/2025 उत्तर प्रदेश बनाम अन्जुमन ईशात-ए-तालीम ट्रस्ट व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 29.05.2026 को पारित निर्णयादेश के अनुपालन में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड द्वारा पत्र संख्या प्रा0शि0-दो(2)/268(ii)-2017/10423-26/2025-26, दिनांक 09.01.2026 एवं पत्र संख्या प्रा0शि0-02(02)/2538/887-2025/2026-27, दिनांक 15.06.2026 द्वारा राज्यान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों को अध्यापक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किये जाने हेतु उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित कराये जाने सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 04.03.2016 को संशोधित किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचारार्थ उपलब्ध कराया गया है।

3- अतः निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनाक 04.03.2016 द्वारा निर्गत व्यवस्था/प्राविधान में निम्न नवीन प्रावधान सम्मिलित किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रमश. 2.

Scanned with OKEN Scanner

शासनादेश दिनांक 04.03.2016 का बिन्दु	शासनादेश दिनांक 04.03.2016 में वर्णित प्राविधान के साथ–साथ समाहित निम्नानुसार नवीन प्रावधानः–
1 पात्रता परीक्षा हेतु न्यूनतम अर्हता	**(A)** अध्यापक पात्रता परीक्षा (I-V) (UTET-I) प्राथमिक शिक्षकों हेतु (i), (ii) एवं (iii) में उल्लिखित नियम के उपरान्त नवीन नियम का प्रस्तर उल्लिखित किया जानाः– कक्षा 01–05 तक अध्यापन कराने वाले ऐसे समस्त प्रकार के विद्यालय, जिन्हें डायस कोड आवंटित है, में सहायक अध्यापक / प्रधानाध्यापक (प्राथमिक) एवं सहायक अध्यापक / प्रधानाध्यापक (उच्च प्राथमिक) के पद पर नियमित रूप से नियुक्त शिक्षक (in-service teachers)।
1 (B)(i)	**(B)** अध्यापक पात्रता परीक्षा (VI-VIII) (UTET-II) उच्च प्राथमिक शिक्षकों हेतु (i) में उल्लिखित नियम के उपरान्त नवीन नियम का प्रस्तर उल्लिखित किया जानाः– कक्षा 06–08 तक अध्यापन कराने वाले ऐसे समस्त प्रकार के विद्यालय, जिन्हें डायस कोड आवंटित है, में सहायक अध्यापक / प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक (एल0टी0) के पद पर नियमित रूप से नियुक्ति शिक्षक (in-service teachers)।

4– उक्तानुसार सम्मिलित किये गये प्रावधानों के साथ–साथ शासनादेश संख्या 163 / XXIV(1)/2016-15/2011, दिनांक 04.03.2016 में निर्धारित व्यवस्था / प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

भवदीय,

Digitally signed by
RAVINATH RAMAN
Date: 18-06-2026
14:54:23

(रविनाथ रामन)
सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या–324358/XXIV-B-1/25-04(57)2005

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 25 अगस्त, 2025

विषय– प्रदेश में संचालित राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में कक्षा–7, 8, 9 एवं 11 में पार्श्व प्रवेश (Lateral Entry) के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक–सेवा–2/3(घ)/27(01)/1796/रा.गां.न.वि/2025–26, दिनांक 13 जून, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विद्यालयों में मात्र कक्षा–6 में ही प्रवेश का प्राविधान होने एवं प्रवेशरत छात्र/छात्राओं के अन्यत्र विद्यालयों में प्रवेश से उच्चतर कक्षाओं में सीट रिक्त रह जाने के कारण विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग संभव न हो पाने के दृष्टिगत राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में कक्षा–7, 8, 9 एवं कक्षा 11 में रिक्त सीटों को पार्श्व प्रवेश (Lateral Entry) के माध्यम से भरे जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

02– उक्त के सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में कक्षा–6 में प्रवेश परीक्षा के साथ ही कक्षा 7, 8, 9 एवं 11 में रिक्त रहने वाली सीटों को इच्छुक अभ्यर्थियों में से पार्श्व प्रवेश (Lateral Entry) के माध्यम से श्रेष्ठता के आधार पर भरे जाने के सम्बन्ध में निम्न शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. किसी भी कक्षा हेतु स्वीकृत सीटों के सापेक्ष रिक्त सीटों की सीमा के अधीन ही प्रवेश हेतु पार्श्व परीक्षा का आयोजन किया जायेगा।
2. पार्श्व परीक्षा के माध्यम से रिक्त सीटों की सीमा तक ही अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
3. रिक्त सीटों के सापेक्ष एक प्रतीक्षा सूची का भी निर्माण किया जायेगा, जिससे यदि पार्श्व परीक्षा के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी द्वारा किन्हीं कारणों से प्रवेश नहीं लिया जाता है, तो उक्त के फलस्वरूप रिक्त सीट के सापेक्ष प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थी का चयन किया जा सके।
4. सम्बन्धित प्रतीक्षा सूची उक्त शैक्षणिक सत्र, जिस हेतु पार्श्व परीक्षा का आयोजन किया जायेगा, के लिए ही मान्य होगी।
5. सम्बन्धित कक्षा में प्रवेश हेतु पार्श्व परीक्षा का आयोजन उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर द्वारा किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

6. कक्षा में प्रवेश हेतु आयु सीमा की गणना/निर्धारण नई शिक्षा नीति के अनुरूप किया जायेगा।
7. रिक्त सीटों में प्रवेश हेतु विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों एवं नीति के अनुसार किया जायेगा।
8. कक्षा–7, 8, 9 एवं 11 में पार्श्व परीक्षा के माध्यम से प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्व कक्षा अर्थात क्रमशः 6, 7, 8 एवं 10 में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

03– कृपया उक्त पार्श्व परीक्षा (Laterral Entry) का प्रचार–प्रसार अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें, जिससे कि पात्र/प्रतिभावान छात्र–छात्राओं को इसका लाभ मिल सके। अन्य व्यवस्थायें पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 10.04.2003 के अनुसार यथावत रहेंगे।

भवदीय,

Digitally signed by
RAVINATH RAMAN
Date: 22-08-2025
13:51:12

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या–324358 /XXIV-B-1/2025–04(57)/2005 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

आज्ञा से,

Digitally signed by
Anil Kumar Pandey
Date: 22-08-2025
15:46:36

(अनिल कुमार पाण्डे)
उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

3014

प्रे०
मु.शि.अ.

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या- / /XXIV-A-1/2024-15/2011vol-I

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 देहरादून : दिनांकः 07 अक्टूबर, 2024

विषय : दिनांक 24 अक्टूबर, 2024 को आयोजित होने वाली उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय (UTET-I & II) 2024 के प्रश्नपत्रों को कोषागार में सुरक्षित रखवाने, सुरक्षा एवं प्रशासनिक व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल) द्वारा दिनांक 24 अक्टूबर, 2024 (बृहस्पतिवार) को उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय (UTET-I & II) परीक्षा, 2024 को दो पालियों में क्रमशः प्रातः 10:00 बजे से 12:30 बजे एवं अपराह्न 02:00 बजे से 04:30 बजे तक प्रदेश के समस्त 13 जनपदों के विभिन्न 29 शहरों (सूची संलग्न) में बने परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

2- उक्त परीक्षा के सफल आयोजन के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए:-

(1) प्रायः यह संज्ञान में आया है कि कभी-कभी परीक्षार्थियों, उनके शुभचिन्तकों तथा कुछ अभिभावकों द्वारा परीक्षा केन्द्रों के बाहर तथा भीतर अनुशासनहीनता, धमकी, मारपीट जैसी घटनाएं एवं परीक्षार्थियों को अनुचित साधन प्रयोग कराने का प्रयास किया जाता है। इन अनुचित कृत्यों से परीक्षा केन्द्रों पर तैनात केन्द्र व्यवस्थापक तथा कक्ष-निरीक्षकों को अपनी सुरक्षा की आशंका बनी रहती है, जिससे वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ नहीं कर पाते हैं। परिणामतः परीक्षाओं के सुचारू संचालन में शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। अतः सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रों में सम्भावित किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने हेतु लॉ-एण्ड ऑर्डर की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए।

(2) परीक्षा के लिए तैयार कराये गये प्रश्नपत्रों की गोपनीयता भंग होने की आशंका बनी रहती है। प्रश्नपत्रों/उत्तर पत्रकों की शुचिता/गोपनीयता बनाये रखने के उद्देश्य से इन्हें प्रदेश के कोषागार/उपकोषागार में डबल लॉक (Double Lock) में रखे जाने की व्यवस्था करायी जाए एवं ऐसे उप कोषागारों, जहाँ डबल लॉक (Double Lock) की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर प्रश्नपत्रों की सुरक्षा हेतु सशस्त्र सुरक्षाबल की व्यवस्था की जाए।

(3) उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय (UTET-I & II) 2024 के प्रश्नपत्रों तथा उत्तर पत्रकों को दिनांक 20.10.2024 से 22.10.2024 तक परिषद् मुख्यालय, रामनगर (नैनीताल) से मुख्य शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाए। मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रश्नपत्रों एवं ओ०एम०आर० उत्तर पत्रकों को प्राप्त कर परीक्षा शहर के कोषागार/उपकोषागार में सुरक्षित रखवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के दृष्टिगत परिषद् मुख्यालय, रामनगर (नैनीताल) एवं सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारियों को उनके अनुरोध पर पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

(4) दिनांक 24 अक्टूबर, 2024 को प्रातः 7:00 बजे तक मुख्य शिक्षा अधिकारी/नोडल अधिकारी कोषागार/उपकोषागार से प्रश्नपत्र एवं ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक प्राप्त कर प्रातः 9:00 बजे तक परीक्षा केन्द्रों

Scanned with OKEN Scanner

को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रश्नपत्रों को परिषद् कार्यालय से लाने एवं परीक्षा केन्द्रों को पहुँचाने के समय तथा परीक्षा तिथि को परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षार्थियों की संख्यानुसार पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल का होना आवश्यक होगा।

(5) जनपदों में उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय (UTET-I & II) 2024 को सुचारू रूप से कराये जाने हेतु परीक्षा शहरों को परीक्षा केन्द्रों की संख्या के आधार पर सेक्टरों में विभाजित कर प्रत्येक सेक्टर में परगनाधिकारियों/सिटी मजिस्ट्रेटों/डिप्टी कलेक्टरों एवं अन्य समकक्ष अधिकारियों को सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया जाए, जिससे परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों का सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा सतत् प्रभावी निरीक्षण किया जा सके। संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों की अलग से पहचान कर ली जाए। प्रत्येक सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने सेक्टर के लिए उत्तरदायी होंगे।

3– परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा के दौरान वैश्विक महामारी कोविड–19 (COVID-19) जैसे संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम के संबंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

4– शासन की यह प्रतिबद्धता है कि उक्त परीक्षा में किसी भी दशा में नकल एवं अनुचित साधन का प्रयोग न हो तथा परीक्षा प्रत्येक दशा में शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो। अतः इस कार्य की महत्ता को देखते हुए उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय (UTET-I & II), 2024 को शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा नकल मुक्त व्यवस्था लागू किये जाने हेतु उपरोक्त निर्देशों के क्रम में समयान्तर्गत यथोचित अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न यथोपरि।

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
सचिव

सं0– 33 /XXIV-A-1/2024–15/2011VOl –I दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया परीक्षा केन्द्रों के केन्द्र अधीक्षकों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने तथा अन्य आवश्यक निर्देश पारित करने का कष्ट करें।
2. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाँयू मण्डल, पौडी/नैनीताल, उत्तराखण्ड।
4. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा ननूनखेड़ा, देहरादून।
5. निदेशक (मा0शि0)/सभापति, उ0वि0शि0प0, ननूरखेड़ा, देहरादून।
6. निदेशक प्रा0शि0, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा,देहरादून।
7. निदेशक, कोषागार, 23, लक्ष्मी रोड़ डालनवाला, देहरादून।
8. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
9. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशालय के माध्यम से)।
10. गार्डफाइल।

(एम0एम0 सेमवाल)
अपर सचिव

Scanned with OKEN Scanner

BESI-MISC/25.1/4/2024-XXIV-A-1-Basic Education Department

1/235 /5/2024

संख्या- 235255 /XXIV-A-1/2024- 69192 /2024

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 27 अगस्त, 2024

विषयः उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा–2024 की परीक्षा तिथि संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पत्रांक–प्रा0शि0–दो(2)/268(II)–2017/9794–95/2024–25 दिनांक 17 अगस्त, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा–2024 की परीक्षा तिथि संशोधन के सम्बन्ध में है।

2– उल्लेखनीय है कि शासनादेश सं0–214603, दिनांक 30.05.2024 द्वारा उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा–2024 की परीक्षा कराये जाने हेतु दिनांक 26 अक्टूबर, 2024 की तिथि निर्धारित की गयी है। उक्त के क्रम में आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 26–10–2024 को समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा की तिथि प्रस्तावित की गयी है।

3– अतएव उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0–214603, दिनांक 30.05.2024 द्वारा उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा–2024 की परीक्षा कराये जाने हेतु पूर्व में निर्धारित तिथि दिनांक 26.10.2024 के स्थान पर दिनांक 24.10.2024 को परीक्षा तिथि निर्धारित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 27-08-2024 16:32:21

(रविनाथ रामन)
सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

BES1-MISC/25.1/4/2024-XXIV-A-1-Basic Education Department

/2024

संख्या- 214603 /XXIV-A-1/2024- 69192 /2024

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 30 मई, 2024

विषयः उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित कराये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–163 दिनांक 04–03–2016 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–प्रा०शि०–दो(2)/268–2017/2442/2024–25, दिनांक 18 मई, 2024, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित कराये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–163 दिनांक 04–03–2016 के सम्बन्ध में है।

2– उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या–671, दिनांक 01–08–2018 द्वारा एन0सी0टी0ई0 द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28.06.2018 के प्राविधानों के अधीन 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक(बी0एड0) अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

3– चूंकि मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में योजित सिविल अपील संख्या–5069/2023 देवेश शर्मा प्रति भारत संघ के प्रकरण में दिनॉक 11.08.2023 को पारित निर्णय में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एन0सी0टी0ई0 की अधिसूचना दिनॉकित 28.06.2018, जिसके माध्यम से कक्षा एक से पॉच तक के विद्यार्थियों के अध्यापन हेतु भर्ती प्रकिया में बी0एड0 डिग्रीधारकों को अर्ह बनाया गया था, उक्त अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया है। उक्त के क्रम में एन0सी0टी0ई0 के सभी राज्यों को सम्बोधित पत्र दिनांक 04.09.2023 द्वारा प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देशों के क्रम में "उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012" (यथासंशोधित) में संशोधन करते हुये अग्रेत्तर "उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2024" प्रख्यापित की गयी है।

4– अतएव उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्णय दिनांक 11.08.2023 के क्रम में शासनादेश संख्या–163/XXIV(1)/2016–15/2011 दिनांक 04–03–2016 के बिन्दु संख्या 3(1) पात्रता परीक्षा न्यूनतम अर्हता A- अध्यापक पात्रता परीक्षा (I-V) (प्राथमिक शिक्षकों हेतु) के पैरा संख्या–(iii) को केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। साथ ही इससे सम्बन्धित शासनादेश संख्या–671/XXIV(1)/2018–15/2011 Vol.I दिनांक 01–08–2018 को विलोपित किया जाता है।

5– उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या–163, दिनांक 04–03–2016 में निर्धारित समय सारिणी के अनुसार उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा वर्ष 2024 आयोजित कराये जाने हेतु दिनांक

Scanned with OKEN Scanner

29–09–2024 (माह सितम्बर का अन्तिम रविवार) की तिथि निर्धारित है। उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी कार्यक्रमानुसार उक्त दिनांक 29–09–2024 को परीक्षा निर्धारित की गयी है। तद्क्रम में विभागीय प्रस्तावानुसार उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता-परीक्षा वर्ष 2024 हेतु निर्धारित परीक्षा तिथि 29–09–2024 के स्थान पर दिनांक 26–10–2024 (शनिवार) को परीक्षा तिथि निर्धारित किये जाने की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 30-05-2024 16:51:00

(रविनाथ रामन)
सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

BES1-MISC/25.1/6/2024-XXIV-A-1-Basic Education Department

9832/2024

प्र०वी०ई०वी

संख्या:209832/XXIV-A-1/2024-70142/2024

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा, देहरादून।

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
पत्रांक 33
दिनांक 21-05-2024
अनुभाग
रामनगर (नैनीताल)

बेसिक शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून : दिनाँकः 09 मई, 2024

विषयः उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा (यू0टी0ई0टी0) आयोजित किये जाने सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 04 मार्च, 2016 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक/सेवायें–2/3क(2)/32518/दिव्यांग/2023–24 दिनांक 12 फरवरी, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून के कार्यवृत्त दिनांक 05 फरवरी, 2024 के क्रम में उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा (यू0टी0ई0टी0) आयोजित किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या–867, दिनांक 13 नवम्बर, 2017 एवं शासनादेश संख्या–163, दिनांक 04 मार्च, 2016 में सभी वर्गों के दिव्यांगजनों हेतु उत्तीर्णांक अनुसूचित जाति के समकक्ष 40 प्रतिशत रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या–867, दिनांक 13 नवम्बर, 2017 एवं शासनादेश संख्या–163, दिनांक 04 मार्च, 2016 के प्रस्तर–4(3) में न्यूनतम अर्हता अंक (Qualifying Marks) में उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा (यू0टी0ई0टी0) में सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 60 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग अभ्यर्थियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिकों (स्वयं) हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक 50 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

3– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी यदि दिव्यांग श्रेणी में भी हो तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिये उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा (यू0टी0ई0टी0) में न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत ही समझा जायेगा। कृपया उक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 08-05-2024 20:51:48

(रविनाथ रामन)
सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा, देहरादून।
2– निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3– निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उत्तराखण्ड देहरादून।
4– सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Signed by Bhupendra Singh Bora
Date: 09-05-2024 13:05:41
(भूपेन्द्र सिंह बोरा)
संयुक्त सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2
संख्याः 61 /XXX(2)/2025
देहरादूनः दिनांक 30 मई, 2025

अधिसूचना संख्याः 172 /XXXVI(3)/2025/13(01)/2025, दिनांक 28 अप्रैल, 2025 द्वारा प्रख्यापित **उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2025 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या– 10, वर्ष 2025)** की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड
3. प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
6. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. महानिदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल।
8. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।।
12. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून
13. सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून।
14. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
16. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर ।
17. गार्ड फाईल।

संलग्नकः यथोक्त।

आज्ञा से,

29.05.25

(ललित मोहन रयाल)
अपर सचिव

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 28 अप्रैल, 2025 ई0

बैशाख 08, 1947 शक सम्वत्

Scanned with CamS

CamS

Scanned with OKEN Scanner

उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2025

'उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या– 10, वर्ष 2025'

उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम, 2024 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्याः 09 वर्ष, 2024) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान–मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 2 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम, 2024 (जिसे एतस्मिन पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में धारा 2 का खण्ड (घ) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(घ)"कुशल खिलाड़ी" से भारत का ऐसा नागरिक अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में कोई पदक जीता गया हो या प्रतिभाग किया गया हो या राज्य स्तर पर खेलों में कोई पदक जीता गया हो और जिसका मूल अधिवास उत्तराखण्ड में है, परन्तु उसने अन्य कहीं का कोई स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है, अथवा जिसका मूल अधिवास उत्तराखण्ड में नहीं है, परन्तु उसने शासनादेश संख्या 2588/एक–4/सा.प्र./2001, दिनांक 20 नवम्बर, 2001 या तत्समय प्रवृत्त अधिवास सम्बन्धी किसी अन्य शासनादेश के अनुसार उत्तराखण्ड में स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो;"

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

धारा 3 का संशोधन

3. मूल अधिनियम में धारा 3 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात् :–

"3. लोक सेवाओं और पदों में उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता/प्रतिभाग करने वाले अथवा राज्य स्तर पर खेलों में पदक विजेता कुशल खिलाड़ियों के पक्ष में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, रिक्तियों में, जिन पर भर्ती की जानी है, 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण निम्नवत् अनुमन्य होगाः–

क्र. सं.	प्रतियोगिता का नाम	प्रतियोगिता का स्तर	क्षैतिज आरक्षण
1.	ओलम्पिक खेल	पदक विजेता /प्रतिभाग	लेवल–10 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
2.	विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप/ एशियन खेल	पदक विजेता /प्रतिभाग	लेवल–8 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
3.	कॉमनवैल्थ खेल/एशियन चैम्पियनशिप	पदक विजेता /प्रतिभाग	लेवल–7 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
4.	कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप/ अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल	पदक विजेता /प्रतिभाग	लेवल–6 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
5.	राष्ट्रीय खेल/मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/ अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल/ खेलो इण्डिया यूथ गेम्स	पदक विजेता	लेवल–5 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
6.	उत्तराखण्ड ओलम्पिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित राज्य खेल/ राष्ट्रीय खेल संघों से मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघों द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय चैम्पियनशिप/	पदक विजेता	लेवल–5 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

	युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय खेल महाकुम्भ/ विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय स्कूल खेल/ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयी खेल		

परन्तु यह कि राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत कुशल खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों पर योग्य कुशल खिलाड़ी उपलब्ध न होने पर उन पदों को अग्रेनीत नहीं किया जायेगा, बल्कि समान श्रेणी के प्रवीणता क्रम में आने वाले योग्य अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

आज्ञा से,

धनंजय चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव।

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

उद्देश्य और कारणों का कथन

उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम, 2024 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में पदक विजेता/प्रतिभाग करने वाले कुशल खिलाड़ियों के पक्ष में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में, राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को भी लोक सेवाओं और पदों में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु उक्त अधिनियम में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

2. प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

पुष्कर सिंह धामी,
मुख्यमंत्री।

Scanned with CamScan

Scanned with OKEN Scanner

सं0–215366 /XXIV-A-1/2024–39646/2022

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून : दिनांकः 04 मई, 2024

विषय : द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–शि0शि0सेवापूर्व/784/दो–I (34)/2024–25 दिनांक 18 मई, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें द्विर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2022–23 हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित कराये जाने हेतु समसामयिक शासनादेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागीय प्रस्ताव के सम्यक् परीक्षणोंपरान्त डी0एल.एड0 प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा आयोजित किये जाने हेतु निर्गत शासनादेश संख्या–433/XXIV(1)/2019-02/2018 दिनांक 16.08.2019, शासनादेश संख्या–1028/XXIV(1)/2019-02/2018 दिनांक 21.10.2019, शासनादेश संख्या–1389/XXIV-A-1/2020/02/2018दिनांक 11.01.2021, शासनादेश संख्या–173/XXIV-A-1/2021/02/2018दिनांक 24.01.2022 एवं शासनादेश संख्या–25034/2022 दिनांक 25.03.2023 में उल्लिखित प्राविधानों में कतिपय संशोधन करते हुए, राज्य में संचालित 13 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में 50 प्रति डायट के अनुसार 650 प्रशिक्षणार्थियों को द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2022–23 हेतु प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम को निम्नलिखित दिशा–निर्देशों के अधीन प्रारम्भ किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती हैः–

1. **द्विवर्षीय डी॰एल॰एड॰ प्रशिक्षण में चयन हेतु प्रवेश परीक्षा एवं अन्य गतिविधियों हेतु नियन्त्रक प्राधिकारी**–द्विवर्षीय डी॰एल॰एड॰ प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित किए जाने, परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को जनपद आवंटन करने व राज्य के समस्त जनपदों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में संचालित द्विवर्षीय डी॰एल॰एड॰ प्रशिक्षण के पर्यवेक्षण हेतु **निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड** नियन्त्रक प्राधिकारी होंगे।

2. **द्विवर्षीय डी॰एल॰एड॰ प्रशिक्षण में चयन हेतु प्रवेश परीक्षा की पात्रता**–

(क) कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–59/XXX–2/19/01(17)/2012 दिनांक 07 फरवरी, 2019 एवं अधिसूचना संख्या–164/XXX–2/19/01(17)/2012 दिनांक 28.06.2019 द्वारा संशोधित उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता (संशोधन) नियमावली 2019 के द्वारा संशोधित

from eOffice by DR. ASHOK KUMAR MISHRA, SO-Basic Education Section 1-AKM, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 04/06/2

Scanned with OKEN Scanner

नियम–4 उपनियम (2) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो, परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवायें उत्तराखण्ड से बाहर स्थानान्तरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे।

परन्तु यह और कि राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका/अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति–पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी, समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे। के अनुसार अभ्यर्थी द्विवर्षीय डी॰एल॰एड॰ प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

(ख) अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी जनपद में स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से द्विवर्षीय डी॰एल॰एड॰ प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन किया जा सकेगा। अभ्यर्थी से प्रवेश परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शहरों के विकल्प भरवायें जायेंगे। अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा केन्द्रों के आवंटन हेतु उसके विकल्पों के आधार पर वरीयता दी जायेगी। अभ्यर्थी को आवेदन करते समय राज्य के समस्त 13 (तेरह) जनपदों को प्रशिक्षण हेतु प्राथमिकता के आधार पर वरीयता दी जानी होगी।

(ग) अभ्यर्थी द्वारा द्विवर्षीय डी॰एल॰एड॰ प्रशिक्षण हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान अथवा विज्ञानेत्तर विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई है।

(घ) द्विवर्षीय डी॰एल॰एड॰ प्रशिक्षण हेतु जनपदवार आवंटित सीटों के प्रति 50 प्रतिशत विज्ञान वर्ग तथा 50 प्रतिशत विज्ञानेत्तर वर्ग के अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा।

(1) बी॰एस॰सी॰ योग्यताधारी अभ्यर्थी एवं इण्टर में विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण बी॰टेक/बी॰फार्मा/बी॰बी॰ए॰/बी॰सी॰ए॰ स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थी विज्ञान वर्ग हेतु आवेदन कर सकेंगे। कृषि वर्ग के स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थी भी विज्ञान वर्ग में आवेदन कर सकेंगे।

(2) बी॰ए॰ योग्यताधारी अभ्यर्थी एवं इण्टर में मानविकी वर्ग से उत्तीर्ण बी॰बी॰ए॰/बी॰सी॰ए॰ स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थी विज्ञानेत्तर वर्ग में आवेदन कर सकेंगे। वाणिज्य वर्ग के स्नातक अभ्यर्थी भी विज्ञानेत्तर

HOK KUMAR MISHRA, SO-Basic Education Section 1-AKM, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 04/06/2024

Scanned with OKEN Scanner

वर्ग में आवेदन कर सकेंगे।

(ड.) कार्मिक विभाग द्वारा सेवायोजन में विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किये जाने हेतु जारी शासनादेशानुसार ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज (Vertical & Horizontal) आरक्षण अनुमन्य किया जाएगा। शासनादेश संख्या 1028 / XXIV(1) / 2019 / 02 / 2018, दिनांक 21–10–2019 एवं शासनादेश संख्या 1389 / XXIV(1) / 2020 / 02 / 2018, दिनांक 11–01–2021 के बिन्दु संख्या–2–2(ग) के अनुपालन में "श्रेणी, वर्ग एवं उप वर्गवार सीटों का वर्गीकरण करते हुए सम संख्या आने पर उसे बराबर विषयों में विभाजित कर दिया जायेगा एवं विषम संख्या आने पर उसकी पूर्ति चक्रानुक्रम से श्रेणी के अनुसार आगामी प्रवेश परीक्षा में पूर्ति कर दी जायेगी। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर (Vertical) आरक्षण की भांति ही क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण में भी सीटों का निर्धारण किया जायेगा।"

(च) **अभ्यर्थी की आयु प्रशिक्षण प्रारम्भ होने** वाले वर्ष की प्रथम जुलाई को **19 वर्ष से कम तथा 30** वर्ष से अधिक न हो। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को कार्मिक विभाग के शासनादेशों के अनुरूप अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी। न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट देय नहीं होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु सीमा में छूट केवल स्वयं के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेश के अनुरूप नियमानुसार देय होगी।

(छ) द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण स्ववित्त पोषित रूप से संचालित किया जायेगा। द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से प्रतिवर्ष रू0 35,000/–(पैंतीस हजार रुपये मात्र) प्रशिक्षण शुल्क लिया जायेगा एवं प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से प्रति सेमेस्टर रू0 850/– (आठ सौ पचास रूपये मात्र) परीक्षा शुल्क लिया जायेगा। प्राप्त शुल्क निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून के निवर्तन पर रखा जायेगा।

(ज) द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रशिक्षणोपरान्त राजकीय सेवा में सेवायोजित किये जाने की कोई बाध्यता नहीं होगी किन्तु तत्समय प्रचलित सेवा नियमावली में विहित न्यूनतम प्रशिक्षण/ अन्य निर्धारित योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थियों को ही नियमानुसार सेवा में लिया जायेगा।

3. चयन का आधार–

द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन, प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों की मैरिट के आधार पर किया जायेगा। चयन सूची प्रवेश परीक्षा की श्रेष्ठता के अवरोही क्रमानुसार तैयार की जायेगी।

4. लिखित परीक्षा–

लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी। परीक्षा की अवधि 02 घण्टे 30 मिनट होगी, जिसमें 200 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 01

d from eOffice by DR. ASHOK KUMAR MISHRA, SO-Basic Education Section 1-AKM, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 04/(

Scanned with OKEN Scanner

366/2024

अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न के 04 विकल्प दिये जायेंगे, जिनमें एक विकल्प सही होगा। प्रश्न मुख्यतः सामान्य ज्ञान/बोध, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति, संख्यात्मक योग्यता एवं शिक्षण अभिरूचि विषयों पर आधारित होंगे, जिनका ज्ञान एक सामान्य स्नातक से अपेक्षित है। उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन ओ0एम0आर0 शीट आधारित होगा। अभ्यर्थी द्वारा ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र में प्रस्तुत किये गये विवरण के आधार पर उसे परीक्षा में सम्मिलित कराया जायेगा, तत्पश्चात् सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच कर अन्तिम चयन की कार्यवाही की जायेगी।

5. परीक्षा संस्था–

द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद के अन्तर्गत गठित विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ के माध्यम से किया जायेगा। प्रवेश परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था ही विज्ञापित सीटों के सापेक्ष, श्रेणीवार, वर्गवार तथा आरक्षणानुसार पृथक–पृथक सूची तैयार कर अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड, देहरादून को उपलब्ध कराने हेतु निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित करेगा। अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को उनके प्राप्तांकों के वरीयता क्रमानुसार जनपद आवंटन करने के उपरान्त चयनित अभ्यर्थियों की सूची सम्बन्धित जनपदों के प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध करवायी जाएगी।

6. प्रवेश हेतु चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार किया जाना –

(क) अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर राज्य स्तर पर एवं आरक्षित श्रेणीवार निर्धारित प्रतिशत के अन्तर्गत उनकी पृथक–पृथक योग्यता सूची तैयार की जायेगी। अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के अवरोही क्रम में योग्यता सूची तैयार की जायेगी।

योग्यता सूची के आधार पर काउंसिलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया सम्पादन के उपरान्त वास्तविक रूप से रिक्त रही सीटों की संख्या के सापेक्ष विज्ञान/विज्ञानेत्तर वर्ग में ऊर्ध्व/क्षैतिज आरक्षणवार प्रतीक्षा सूची भी निर्गत की जायेगी। जिस वर्ग/श्रेणी का अभ्यर्थी प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होता है, तो उसी वर्ग/श्रेणी के अभ्यर्थी को आमंत्रित किया जायेगा।

योग्यता सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को डी॰एल॰एड॰ प्रशिक्षण हेतु जनपद का आवंटन उनकी काउंसिलिंग के आधार पर किया जायेगा। जनपद आवंटन में अभ्यर्थी के गृहं जनपद को प्रथम वरीयता प्रदान की जायेगी, किन्तु किसी अभ्यर्थी को योग्यता सूची के अनुसार उसका गृह जनपद प्राप्त नहीं होता है तो उसे किसी अन्य जनपद का विकल्प देने की अनुमति प्रदान की जायेगी। काउंसलिंग के समय चयनित अभ्यर्थियों से डी॰एल॰एड॰ प्रशिक्षण हेतु उक्तानुसार विकल्प भरवाकर जिले आवंटित किये जायेंगे।

(ख) चयनित अभ्यर्थियों की सूची को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण सस्थानों को भेजने का उत्तरदायित्व एस॰सी॰ई॰आर॰टी॰ उत्तराखण्ड, देहरादून का

Scanned with OKEN Scanner

होगा।

7. **राज्य स्तर डी॰एल॰एड॰ प्रवेश परीक्षा एवं प्रवेश हेतु समिति का गठन –**

द्विवर्षीय डी॰एल॰एड॰ प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित मामलों पर पात्र अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का परीक्षण एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित समिति गठित की जायेगी–

1	निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण	–	अध्यक्ष / परीक्षा नियन्त्रक प्राधिकारी
2	अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी.	–	सदस्य / सचिव
3	सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर द्वारा नामित अपर सचिव स्तर का एक अधिकारी	–	सदस्य
4	निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण द्वारा नामित एक श्रेणी–2 का अधिकारी(अनु0 जा0 / अनु0ज0जा0 / अ0पि0व0 से सम्बन्धित)	–	सदस्य
5	निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड द्वारा नामित संयुक्त / उप निदेशक स्तर का सेवा–2 पटल का अधिकारी	–	सदस्य

8. **द्विवर्षीय डी॰एल॰एड॰ प्रशिक्षण एवं सेमेस्टर मूल्यांकन –**

सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में द्विवर्षीय अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों का सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक कार्यों का मूल्यांकन, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् द्वारा सम्पादित कराया डी॰एल॰एड॰ प्रशिक्षण हेतु सेमेस्टर मूल्यांकन, वार्षिक जायेगा। प्रति सेमेस्टर की परीक्षा से पूर्व आंतरिक आंकलन के अंक कम से कम 15 दिन पहले बोर्ड को उपलब्ध कराने का दायित्व प्राचार्य सम्बन्धित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का होगा। उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल द्वारा परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र सम्बन्धित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे।

9. **द्विवर्षीय डी॰एल॰एड॰ प्रवेश परीक्षा शुल्क –**

द्विवर्षीय डी॰एल॰एड॰ प्रशिक्षण हेतु आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन पत्र के शुल्क की दरें निम्नवत् निर्धारित होगी –

1. सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए – रू0 600.00
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए–रू0 300.00
3. सभी वर्गों के निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए – रू0 150.00

10. **अन्य नियम–**

(क) द्विवर्षीय डी॰एल॰एड॰ प्रशिक्षण हेतु प्रविष्ट अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कराया जायेगा। प्रमाण पत्र

Generated from eOffice by DR. ASHOK KUMAR MISHRA, SO-Basic Education Section 1-AKM, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 04.

Scanned with OKEN Scanner

फर्जी/कूटरचित पाये जाने पर प्रवेश निरस्त करने के साथ ही कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी। इस आशय का शपथ पत्र भी अभ्यर्थी को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश के समय जमा कराना होगा।

(ख) द्विवर्षीय डी॰एल॰एड॰ प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिवर्ष 50 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

(ग) वैश्विक महामारी कोविड–19 के दृष्टिगत विशेष परिस्थितियों में डी॰एल॰एड॰ प्रशिक्षण हेतु चयनित प्रशिक्षुओं का कक्षा–कक्ष शिक्षण ऑनलाइन संचालित किया जा सकता है।

11. द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा हेतु समय सारणी–

प्रत्येक वर्ष द्विवर्षीय डी॰एल॰एड॰ प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा एवं प्रवेश की प्रक्रिया का आयोजन अधिकृत संस्थान द्वारा निम्न कार्यक्रमानुसार सम्पादित की जायेगी :–

क्र॰सं॰	गतिविधि	प्रस्तावित समय
1	द्विवर्षीय डी॰एल॰एड॰ प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं सूचना विवरणिका तैयार करना।	माह जुलाई – अगस्त 2024
2	विज्ञप्ति जारी करने की तिथि (ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया)	माह सितम्बर 2024
3	आवेदकों का डाटा तैयार करना, परीक्षा केन्द्र, प्रवेश पत्र निर्माण एवं अभ्यर्थियों को प्रेषण की तिथि परीक्षा केन्द्रों को परीक्षा सामग्री आदि का प्रेषण	माह अक्टूबर–नवम्बर 2024
4	परीक्षा की तिथि (प्रस्तावित)	माह नवम्बर, 2024 तृतीय शनिवार
5	परीक्षाफल निर्माण एवं घोषणा	माह दिसम्बर 2024–जनवरी 2025
6	सफल अभ्यर्थियों को जनपद आवंटन हेतु कॉउंसिलिंग की अवधि	माह जनवरी–फरवरी 2025
7	प्रतीक्षा सूची जारी करना	माह फरवरी–मार्च 2025
8	सत्र प्रारंभ	माह मार्च–अप्रैल 2025

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 03-06-2024 18:28:33

(रविनाथ रामन)
सचिव

ffice by DR. ASHOK KUMAR MISHRA, SO-Basic Education Section 1-AKM, SECTION OFFICER, Basic Education Department on 04/06/2024

Scanned with OKEN Scanner

संo-215366 /XXIV-A-1/2024--39646/2022 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा ननूरखेड़ा, देहरादून।
3. निदेशक (मा0शि0)/सभापति, उ0वि0शि0प0, ननूरखेड़ा, देहरादून।
4. निदेशक प्रा0शि0, उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा,देहरादून।
5. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल।
6. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

Signed by Bhupendra Singh Bora
Date: 04-06-2024 14:50:06

(भूपेन्द्र सिंह बोरा)
संयुक्त सचिव

Scanned with OKEN Scanner